न्यायालय–18वें अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)

{समक्ष– गौरव प्रज्ञानन}

सत्र प्रकरण कमांक–53/2024
संस्थित दिनांक–23/01/2024
फायलिंग नम्बर–एसटी 1712/2024
सी.एन.आर.–एम.पी.2001–002913–2024

(निर्णय तिथि 29/11/2024)
(सत्र प्रकरण कमांक–**ST/53/2024**)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर, जिला–जबलपुर, श्रीमती किरण सिंह के न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण कमांक–352/2024 (पुलिस थाना–पनागर, जिला जबलपुर के अपराध कं.–1119/21 अंतर्गत धारा 409, 34 भा.दं.सं. तथा आवश्यक वस्तुत अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7 मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध इन्द्रकुमार पटेल वगैरह में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 20.01.2024 से उद्भूत।

परिवादी :– पुलिस थाने का विवरण–**आरक्षी केन्द्र पनागर**
राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पनागर जिला जबलपुर (म.प्र.)

प्रतिनिधित्व द्वारा :– अधिवक्ता का नाम श्रीमती लहर दीक्षित अतिरिक्त लोक अभियोजक।

अभियुक्तः–

01. संदीप काछी पिता गया प्रसाद काछी
उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी टगर मंहगवा,
थाना पनागर जिला जबलपुर म.प्र.।

02. इंद्रकुमार पटेल पिता तातीराम पटेल
उम्र लगभग 61 वर्ष निवासी टगर मंहगवा,
थाना पनागर जिला जबलपुर म.प्र.।

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठ्ठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

प्रतिनिधित्व द्वारा:– आरोपी इंद्रकुमार द्वारा अधिवक्ता श्री श्याम विश्वकर्मा।
आरोपी संदीप काछी द्वारा अधिवक्ता श्री ओम शंकर पाण्डेय।

प्रारूप ड

अपराध की तारीख	30.06.2021 से 02.07.2021 के मध्य की अवधि
प्र.सू.रि. की तारीख	19.11.2021
अभियोगपत्र प्रस्तुति की तारीख	16.01.2024
आरोपों की विरचना की तारीख	07.05.2024
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	19.06.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	25.11.2024
निर्णय की तारीख	29.11.2024
दण्डादेश यदि कोई हो तो की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दप्रसं. के प्रयोजनार्थ विवरण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	संदीप काछी पिता गया प्रसाद काछी निवासी टगर मंहगवा थाना पनागर जिल जबलपुर म.प्र.	दिनांक 11.11.2022	11.11.2022	भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं आवश्यक वस्तु	**दोषमुक्ति**	**निरंक**	निरंक

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

				अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7			
02.	इंद्रकुमार पटेल पिता तातीराम पटेल निवासी टगर मंहगवा थाना पनागर जिला जबलपुर म.प्र.	26.04.2022	13.05.2022	भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7	**दोषमुक्ति**	**निरंक**	17 दिवस

प्रारूप—च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजनः—

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी पुलिस विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी एवं अन्य साक्षी**
अ.सा. 1	मुकेश काछी	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा. 2	नवाबलाल काछी	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा. 3	सिद्धार्थ राय	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी
अ.सा. 4	प्रमोद पटेल	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा. 5	सूरज कुशवाहा	स्वतंत्र साक्षी

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारहवें अपर सेशन न्यायाधीश,
जबलपुर (म.प्र.)

अ.सा. 6	दिवाकर यादव	पुलिस साक्षी
अ.सा. 7	अम्बुज पाण्डेय	पुलिस साक्षी
अ.सा. 8	संतोष पाण्डेय	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी पुलिस विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी एवं अन्य साक्षी**
ब.सा. 1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी पुलिस विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी एवं अन्य साक्षी**
न्या.सा. 1	निरंक	निरंक

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची</u>

क. अभियोजन :–

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी–01	पंचनामा
2	प्रदर्श पी–02	साक्षी मुकेश काछी का पुलिस कथन
3	प्रदर्श पी–03	साक्षी नवाबलाल काछी का पुलिस कथन
4	प्रदर्श पी–04	आदेश की नोटशीट
5	प्रदर्श पी–05	स्टाक पर्ची
6	प्रदर्श पी–06	जांच पश्चात प्रतिवेदन
7	प्रदर्श पी–07	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश
8	प्रदर्श पी–08	थाना प्रभारी पनागर को आवेदन पत्र
9	प्रदर्श पी–09	प्रथम सूचना रिपोर्ट
10	प्रदर्श पी–10	मेमोरेण्डम कथन

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

11	प्रदर्श पी–11	संपत्ति जप्तीपत्रक
12	प्रदर्श पी–12	नक्शा मौका
13	प्रदर्श पी–13	आरोपी इंद्रकुमार पटेल का गिरफ्तारी पत्रक
14	प्रदर्श पी–14	संपत्ति जप्तीपत्रक
15	प्रदर्श पी–15	आरोपी संदीप काछी का गिरफ्तारी पत्रक

ख. प्रतिरक्षा

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

–:: ।। निर्णय ।।::–

(आज दिनांक **29.11.2024** को घोषित)

1. अभियुक्त **इंद्रकुमार पटेल व संदीप काछी** के विरूद्ध **भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7** के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 30.06.2021 से 02.07.2021 के मध्य की अवधी में शासकीय उचित मूल्य दुकान महंगवा टगर कोड–3304041 स्थित अंतर्गत थाना पनागर जिला जबलपुर में उक्त शासकीय दुकान की विक्रेता होते हुये शासकीय खाद्यान

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

मूल्य लगभग 64,211.33/—रूपये जो कि लोक सेवक होने के नाते अभियुक्तगण को लोकसेवक के रूप में न्यस्त की गई थी के संबंध में आपराधिक न्यास भंग किया तथा शासकीय उचित मूलय दुकान के विकेता होते हुये शासकीय खाद्यान के संबधं में मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 10 उचित मूल्य दुकानों का संचालन की उपकंडिका 4, 11 वितरण की उपकंडिका (1)(8) एवं कंडिका 18 का उल्लंघन किया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.11.2021 को प्रार्थी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सिद्धार्थ राय पिता सुरेश राय उम्र 30 वर्ष निवासी एस.पी.ऑफिस के पास जामुनी ब्लाक पुलिस लाईन थाना सिविल लाईन की सेवा सहकारी समिति कुशनेर पिपरिया से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान महगवॉ टगर के सेल्समेन संदीप काछी पिता गया प्रसाद काछी निवासी टगर महगवॉ एवं पूर्व सेल्समेन इंद्रकुमार पटेल पिता तातीराम पटेल निवासी उमरिया पठरा के द्वारा शासकीय संपत्ति गेहूँ, चावल इत्यादि कुल कीमती 64211.33 रूपये का आपराधिक न्यासभंग करने संबंधी रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले में धारा 34 दप्रसं का ईलाफा किया गया। दौरान विवेचना के प्रार्थी सिद्धार्थ राय एवं पंचनामा के दौरान मुकेश काछी, नवाब काछी के क्थन लिये घटना स्थल कास नक्शा तैयार किया गया आरोपी इंद्रकुमार पटेल द्वारा माननीय न्यायालय में समर्पण करने के बाद न्यायालय के आदेशानुसार गिरफ्तारी के बाद आरोपी का मेमोरेण्डम लेख कर आरोपी को जेआर पर भेजा गया आरोपी संदीप काछी की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय से मंजूर होने से उससे माह अक्टूबर 2021 की वितरण पर्ची जप्त कर उसे धारा 41 दंप्रसं कर नोटिस देकर न्यायालय उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया दोनों आरोपियों के लोकसेवक होने की प्रमाण पत्र प्रशासक कृषि

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

शाखा समिति कुशनेर नरेन्द्र पटेल से लिया गया मामले की विवेचना पूर्ण होने से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र कमांक 272/2022 तैयार किया जाकर विधिपूर्ण निराकरण हेतु उपार्पण पश्चात् इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

3. अभियुक्तगण इंद्रकुमार पटेल एवं संदीप काछी को भा.दं.वि. की धारा 409 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7 के अधीन आरोप विरचित कर पढ़कर समझाये एवं सुनाये जाने पर अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के परीक्षण में उन्होंने व्यक्त किया है कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नानुसार विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :–

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 30.06.2021 से 02.07.2021 के मध्य की अवधि में शासकीय उचित मूल्य दुकान महंगवा टगर कोड–3304041 स्थित अंतर्गत थाना पनागर जिला जबलपुर में उक्त शासकीय दुकान की विकेता होते हुये शासकीय खाद्यान मूल्य लगभग 64,211.33/–रू. जो कि लोकसेवक होने के नाते अभियुक्तगण लोकसेवक के रूप में न्यस्त की गई थी के संबंध में आपराधिक न्यास भंग किया ?
2	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर शासकीय उचित मूल्य दुकान के विकेता होते हुए शासकीय खाद्यान्न के संबंध में मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 10 उचित मूल्य दुकानों का संचालन की

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अट्ठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

	उपकंडिका 4, 11 वितरण की उपकंडिका (1)(8) एवं कंडिका 18 का उल्लंघन किया ?
3	दोषसिद्धि एवं दण्डादेश यदि हो तो ?

–::– सकारण निष्कर्ष –::–

5. अभियोजन की ओर से मुकेश काछी (अ.सा. 1), नवाबलाल काछी (अ.सा. 2), सिद्धार्थ राय (अ.सा. 3), प्रमोद पटेल (अ.सा. 4), सूरज कुशवाहा (अ.सा. 5), दिवाकर यादव (अ.सा. 6), अम्बुज पाण्डेय (अ.सा. 7) एवं संतोष पाण्डेय (अ.सा. 8) के कथन लेखबद्ध कराये गये हैं।

–: विचारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02 का निराकरण :–

6. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न एक ही संव्यवहार से उद्भूत होकर, परस्पर एक–दूसरे से संबंधित होने से, साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्न एक साथ निराकृत किये जा रहे हैं।

7. साक्षी सिद्धार्थ राय (अ.सा.03) ने यह कथन किया है कि वह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर वर्ष 2018 से पदस्थ है तथा महगवां टगर स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान नंबर 3304041 में विक्रेता के रूप में इंद्रकुमार एवं संदीप काछी पदस्थ थे तथा उक्त दुकान पर पूर्व में विक्रेता के पद पर इंद्रकुमार पटेल पदस्थ थे तथा जांच के समय संदीप काछी विक्रेता के पद पर पदस्थ थे तथा कार्यालय कलेक्ट्रेड खाद्य शाखा जबलपुर के पत्र कमांक 853/खाद्य/2021 जबलपुर, दिनांक 14.10.2021 के पालन में जांच दल गठित किया गया था तथा उक्त आदेश के संबंध में नोटशीट प्रदर्श पी–4 है तथा आदेश के पालन में गठित जांच दल में उसके अलावा भावना तिवारी, वसुंधरा पेंड्रो एवं पल्लवी जैन थे तथा दिनांक 18.10.2021 को जांच दल महगवां

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

टगर स्थित शासकीय उचित दुकान नंबर 3304041 में दिन के करीब 03:30 बजे जांच हेतु गये।

8. उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उक्त दिनांक को उक्त दुकान में विक्रेता संदीप काछी एवं दुकान से संबंधित हितग्राही वहां पर उपस्थित थे तथा दुकान का भौतिक सत्यापन एवं दुकान की जांच पंचाट के समक्ष की गई थी तथा प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन द्वारा स्टॉक पर्ची प्राप्त की गई थी जो प्रदर्श पी–5 है तथा स्टॉक पर्ची प्रदर्श पी–5 के अनुसार गेहूं 2872 किलो, चावल 798 किलो, नमन 295 किलो, शक्कर 30 किलो एवं मिट्टी का तेल 76 लीटर होना पाया गया था तथा स्टॉक पर्ची के मिलान हेतु दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया था तथा भौतिक सत्यापन में गेहूं 1739 किलो, चावल 710 किलो, नमक 252 किलो, शक्कर 11 किलो एवं नीला केरोसीन 113 लीटर पाया गया।

9. उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि स्टॉक पर्ची एवं भौतिक सत्यापन में गेहूं 1739 किलो, चावल 706 किलो, नमक 43 किलो, शक्कर 19 किलो कम पाया गया था तथा नीला केरोसीन 37 लीटर अधिक पाया गया था तथा गवाहों के समक्ष उसके द्वारा कार्यवाही के संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी–1 तैयार किया गया था जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा जांच दल के द्वारा विक्रेता संदीप काछी हितग्राही भगवत प्रसाद मिश्र, रामकृपाल, हरछठ चौधरी, धनीराम काछी एवं रमेश प्रसाद के कथन लेखबद्ध किये गये थे तथा जांच दल के द्वारा विक्रेता संदीप काछी से अंतर के संबंध में पूछा गया था तो उसने यह बताया था कि पूर्व विक्रेता इंद्रकुमार पटेल से दिनांक 02.07.2021 को जार्च लिया गया था तथा जार्च सूची के अनुसार संदीप काछी को 25 किलो चावल, 3 किलो नमक, 4 खाली ड्रम, इलेक्ट्रानिक तौल काटा 1, कांटा बाण 1 और पीओएस मशीन 1 दी थी। सिद्धार्थ राय (अ.सा.3) ने यह भी

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

कथन किया है कि जांच पश्चात् प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील पनागर जिला जबलपुर को दिया था जो प्रदर्श पी–6 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया गया था जो प्रदर्श पी–7 है तथा आदेश के परिपालन में दिनांक 19.11.2021 को थाना प्रभारी पनागर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो प्रदर्श पी–8 है जिसके अ से अ और ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उक्त आवेदन पत्र के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी जो प्रदर्श पी–9 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा पुलिस ने उसके बयान भी लिये थे।

10. साक्षी मुकेश काछी (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को जानता है तथा कथन दिनांक से डेढ़–दो वर्ष पूर्व दिन के 12:30 बजे वह शासकीय उचित मूल्य दुकान पर राशन लेने गया था जहां से उसने संदीप काछी ने राशन दिया था और मशीन में अंगूठा लगवाया था तथा वहां पर उपस्थित एक मेडम ने उससे पूछताछ की थी तथा कागज पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे और उसके अलावा कोई कार्यवाही नहीं हुई थी तथा पंचनामा प्रदर्श पी–1 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इनकार किया है कि जांच में चावल दुकान पर स्टाक में चावल 92 किलो, गेहूं 1133 किलो, नमक 252 किलो, शक्कर 11 किलो और मिट्टी का तेल 113 लीटर पाया गया तथा मशीन के स्टाक पर्ची में गेहूं 2872 किलो, चावल 798 किलो, नमक 295 किलो, शक्कर 30 किलो और मिट्टी का तेल 76 लीटर था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि जांच दल ने यह बताया था कि दुकापन में गेहूं 1739 किलो, चावल 706 किलो, नमक 43 किलो, शक्कर 19 किलो कम पाया गया था। उक्त साक्षी

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

ने पुलिस कथन प्रदर्श पी–2 के अ से अ भाग का कथन भी न दिया जाना व्यक्त किया है।

11. मुकेश काछी (अ.सा. 1) ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान से गेहूं, नमक और चावल मिलता है तथा प्रदर्श पी–1 पर जब उसने हस्ताक्षर किये थे तो उसमें क्या लिखा था इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पंचनामा प्रदर्श पी–1 बनाते समय किसी भी अधिकारी को न तो तौल किया गया और न ही मिलान किया गया। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि कथन प्रदर्श पी–2 उसके अनुसार लेख नहीं किया गया है।

12. नवाबलाल काछी (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को जानता है तथा उसने शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर भीड़ देखकर वह दुकान पर गया था जहां उससे मेडम ने हस्ताक्षर कराये थे तथा पंचनामा प्रदर्श पी–1 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी–3 के अ से अ भाग के संपूर्ण कथन न लेख कराया जाना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि कथन प्रदर्श पी–3 पुलिस द्वारा उसके बताये अनुसार लेख नहीं किया गया है तथा इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 का पंचनामा बनाते समय किसी अधिकारी द्वारा न तो तौल किया गया था न ही मिलान किया गया था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 पर हस्ताक्षर करते समय वहां पर संदीप काछी मौजूद नहीं था। इस प्रकार घटना के स्वतंत्र साक्षी मुकेश (अ.सा. 1) एवं नवाबलाल काछी (अ. सा. 2) ने ही अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है एवं उक्त साक्षीगण के

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

न्यायालयीन कथनों में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं है जिससे अभियोजन प्रकरण को कोई लाभ प्राप्त होता हो।

13. वर्तमान प्रकरण में मात्र सिद्धार्थ राय (अ.सा.3) जो कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी है ने अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया है। अब न्यायालय इस तथ्य पर विचार करेगी कि स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न किये जाने के बावजूद सिद्धार्थ राय (अ.सा.3) के न्यायालयीन कथन इस कोटि के हैं कि उनके एकल कथनों के आधार पर आरोपीगण की दोषिता सुरक्षित रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। सिद्धार्थ राय (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी संदीप काछी ने जुलाई में दुकान का चार्ज लिया था या नहीं तथा जुलाई माह से घटना दिनांक तक कितना खाद्यान्न आया इसकी उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि सामग्री के रखरखाव में नुकसान एवं क्षरण होता है तथा उसके द्वारा यह जानकारी नहीं जुटाई गई कि कितना क्षरण या नुकसान हुआ है। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि सभी हितग्राहियों ने अपने कथनों में दुकान नियमित रूप से खुलना, खाद्यान्न नियमित रूप से मिलना एवं राशन पर्ची प्राप्त होना बताया था।

14. सिद्धार्थ राय (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में यह बता पाने में असमर्थता व्यक्त की है कि जांच के समय दुकान में कितनी बोरियां नई थी और कितनी पुरानी थी तथा उसके द्वारा किसी भी सामग्री का तौल नहीं किया गया था तथा इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि जांच दल तौल कांटा भी लेकर नहीं गये थे तथा यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा बोरी की संख्या और वजन की जांच के समय कोई पंचनामा तैयार नहीं किया था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी संदीप काछी से पोर्टल खुलवाने के संबंध में पंचनामा तैयार नहीं

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारहवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

करवाया। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी इंद्रकुमार को शासन से कितनी सामग्री मिली थी उसे इस बात की जानकारी नहीं है। इस प्रकार सिद्धार्थ राय (अ.सा.3) के कथनों से यह स्पष्ट नहीं है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान महगवां टगर को शासन द्वारा आरोपी इंद्रकुमार के सेल्मेन रहने के दौरान कितना खाद्यान्न वितरण हेतु प्रदाय किया गया था तथा उनके कथनों से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त संदीप काछी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कितना खाद्यान्न वितरण हेतु प्रदाय किया गया था। यह अवश्य है कि अभियोजन द्वारा पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन की पर्ची प्रस्तुत की गई है परंतु उक्त मशीन वितरण की मशीन है न कि खाद्यान्न प्राप्त होने की। ऐसी स्थिति में पीओएस मशीन के द्वारा निकाली गई पर्ची के आधार पर खाद्यान्न प्राप्त होने के संबंध में कोई निश्चायत्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

15. साक्षी संतोष पाण्डेय (अ.सा.8) ने कथन किया है कि वह दिनांक 19.11.2021 को थाना पनागर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पदस्थ था उक्त दिनांक को सिद्धार्थ राय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था तथा थाना प्रभारी के आदेश पर उसने प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श पी–8 के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1119/2021, अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं 409 भा.दं.वि. के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 लेखबद्ध की थी जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण के विवेचक अम्बुज पाण्डेय (अ.सा.7) ने यह कथन किया है कि वह दिनांक 25.11.2021 को थाना पनागर में उपनिरीक्ष के पद पर पदस्थ था तथा थाना प्रभारी महोदय के आदेशानुसार अपराध क्रमांक 1119/21 धारा 409 भादवि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की विवेचना प्राप्त हुई थी जो घटना स्थल शासकीय उचित मूल्य दुकान महगवॉ टगर का नक्शा तैयार किया था जो प्रदर्श पी–12 है जिसके अ से

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठ्ठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा उक्त दिनांक को प्रार्थी सिद्धार्थ राय के कथन लेख किये थे तथा विवेचना के दौरान गवाह नवाब लाल काछी एवं मुकेश काछी के कथन लेख किये थे।

16. साक्षी अम्बुज पाण्डेय (अ.सा.7) ने यह भी कथन किये है कि विवेचना के दौरान दिनांक 26.04.2022 को आरोपी इन्द्रकुमार पटेल की गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जो प्रदर्श पी–13 जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपी इन्द्रकुमार पटेल का पुलिस अभिरक्षा न्यायालय से प्राप्त कर उससे गवाहों के समक्ष उसके द्वारा उससे पूछताछ की गई थी जिसमें उसने बताया था कि लगभग 3 कुंटल गेहू एक फेरे वाले व्यापारी को 6,000/–रूपये में बेचा था, जो खर्चा हो गया है तथा उसका मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–10 तैयार किया था जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा दिनांक 07.05.2022 को गवाहों के समक्ष आरोपी संदीप काछी से सेवा सहकारी समिति कुशनेर पिपरिया से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान महगवा टगर कोड नं. 333040413 की माह अक्टूबर 2021 की वितरण पर्चियां उसके द्वारा पेश करने पर जप्तीपत्रक प्रदश पी–11 से जप्त किया था जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं जो प्रकरण में संलग्न है जो प्रदर्श पी–14 है तथा आरोपी को दिनांक 11.11.2022 को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–15 से गिरफ्तार किया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

17. विवेचक अम्बुज पाण्डेय (अ.सा.7) ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–11 पर कोई नमूना सील अंकित नहीं है तथा इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पर्ची प्रदर्श पी–14 की पर्चियां आरोपी जब किसी हितग्राही को खाद्यान्न देता है तो पर्ची जनरेट होती है और वह पर्ची अपने पास रिकार्ड प्रूफ में रखता है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि जांच के दौरान

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

सिद्धार्थ राय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने वजन–तौल किया था या नहीं। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसने दुकान के आसपास के किसी व्यक्ति के कथन नहीं लिये थे तथा इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने सिद्धार्थ राय के अलावा अन्य अधिकारी या खाद्य विभाग के कर्मचारी के कथन नहीं लिये थे। प्रकरण के विवेचक के द्वारा पीओएस मशीन से जनरेट पर्चियों का मिलान आरोपीगण को शासन से प्राप्त खाद्यान्न से मिलान न किया जाना तथा विवेचक के द्वारा जांच दल के अन्य सदस्यों के कथन न लिया जाना भी विवेचना को संदेहास्पद बनाता है।

18. अम्बुज पाण्डेय (अ.सा.7) ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने सिद्धार्थ राय खाद्य अधिकारी से कोई तराजू बाट जप्त नहीं किया था तथा इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान दुकान के अंदर न तो दुकान के अंदर की गणना नहीं की गई और न ही किसी सामग्री का तौल कराया गया। जहां तक अम्बुज पाण्डेय (अ.सा.7) के द्वारा आरोपी इंद्रकुमार पटेल के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–10 का प्रश्न का प्रश्न है तो उस संबंध में यह अवलोकनीय है कि मेमोरेण्डम की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी प्रमोद पटेल (अ.सा.4) तथा सूरज कुशवाहा (अ.सा.5) ने अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। अम्बुज पाण्डेय (अ. सा.7) ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मेमोरण्डेम कथन प्रदर्श पी–10 के पालन में उसके द्वारा किसी चीज की जप्ती नहीं की गई। अम्बुज पाण्डेय (अ.सा.7) के द्वारा मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–10 के पालन में कोई जप्ती न किया जाना मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–10 को साक्ष्य में अग्राह्य बना देता है और उससे अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

19. वर्तमान प्रकरण में सिद्धार्थ राय (अ.सा.3) के द्वारा जांच के दौरान शासकीय दुकान मझगवां टगर को शासन द्वारा आबंटित खाद्यान्न के संबंध में कोई

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारहवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

निश्चयात्मक साक्ष्य संगृहीत नहीं की गई और न ही उनके द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा खाद्यान्न में जो कमी बताई गई है वह किस आधार पर बताई गई है। अभियोजन द्वारा जांच दल के अन्य सदस्यों के कथन न कराया जाना भी अभियोजन प्रकरण में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करता है।

20. यह सुस्थापित विधि है कि दांडिक मामलों में अभियोजन पक्ष पर यह प्रमाण भार है कि वह अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करें। न्याय दृष्टान्त **जोगेन्दरसिंह बनाम हरियाणा राज्य 1974 कि.ला.ज. 117** वाले मामले में यह मत व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध कितना भी सन्देह हो, न्यायाधीश का कितना भी प्रबल नैतिक विश्वास एवं निश्चय हो, परन्तु जब तक वैध साक्ष्य तथा अभिलेखों की विषयवस्तु के आधार पर युक्तियुक्त शंका से परे दोषारोपण सिद्ध नहीं होता तब तक उसे अपराध में दण्डित नहीं किया जाता। समग्र रूप से अभियोजन कथा सत्य हो सकती है परन्तु "हो सकती है" और "होना चाहिए" के मध्य यात्रा हेतु लम्बी दूरी है और अभियुक्त को दण्डित करने के पूर्व अभियोजन को वैध विश्वसनीय अकाट्य साक्ष्य के माध्यम से उक्त दूरी पूरी करना अनिवार्य है ऐसा ही मत **सरवनसिंह सिंह रतनसिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1957 एससी 637** में अपनाया गया।

21. न्याय दृष्टांत **ए.आई.आर 1975 सुप्रीम कोर्ट 573,** न्याय दृष्टांत **ए.आई. आर.1979 सुप्रीम कोर्ट 1012** में यह प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक मामले में अपना मामला संदेह से परे साबित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अभियोजन पक्ष का है। न्याय दृष्टांत ए.आई.आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 258 में यह प्रतिपादित किया गया है कि मात्र संदेह, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। **न्यायदृष्टांत भग्गूराम बनाम म.प्र. राज्य ए.आई.आर 1980 सुप्रीम कोर्ट 530** में प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी घटना के संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठ्ठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

की गयी साक्ष्य से दो निष्कर्ष निकाला जाना संभव है, तब न्यायालय द्वारा ऐसा निष्कर्ष अपनाना चाहिये, जो कि अभियुक्त की मदद करता हो। **न्याय दृष्टांत आसम राज्य बनाम भैरव शेख 1989 उच्चतम न्यायालय पेज 272** में प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन की साक्ष्य यदि संदिग्ध प्रकृति की हो, जिसमें साक्ष्य की दुर्बलता दृष्टिगत हो, तब ऐसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। **न्याय दृष्टांत रामकुमार बनाम राज्य 1986 दाण्डिक निर्णयपत्रिका 1958** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला संदिग्ध प्रकृति का हो, तब अभियुक्त को युक्तियुक्त संदेह का लाभ दिया जाना चाहिये। **न्याय दृष्टांत रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1987 (2) दाण्डिक निर्णय पत्रिका 1549** के अनुसार साक्ष्य का मल्याकंन किये जाने के लिऐ साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, न कि साक्षीगण की संख्या।

22. उपरोक्त समग्र विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन, अभियुक्तगण इंद्रकुमार पटेल व संदीप काछी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7 का आरोप, अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः **असफल** रहा है। परिणाम स्वरूप अभियुक्तगण इंद्रकुमार पटेल व संदीप काछी को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7 के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

23. अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत दं.प्र.सं. की धारा 437क के अंतर्गत जमानत एवं मुचलकों के अतिरिक्त अन्य सभी जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है। दंड प्रकिया संहिता की धारा 437–क के अंतर्गत जमानत मुचलका निर्णय दिनांक से 06 माह की अवधि के पश्चात स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

24. प्रकरण में जप्तशुदा सेवा सहकारी समिति कुशनेर पिपरिया से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान महगवां टगर क्रमांक 3304041 की माह अक्टूबर 2021 की

29/11/24
(गौरव प्रज्ञानन)
अठारवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

वितरण पर्चियां रिकार्ड का भाग होने से अभिलेख के साथ संलग्न की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार व्ययनित किया जावे।

25. अभियुक्त इंद्रकुमार पटेल दिनांक 26.04.2022 से 13.05.2022 तक कुल 17 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है तथा अभियुक्त संदीप काछी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। अतः इस संबंध में पृथक् से धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

26. निर्णय की एक प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर को भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

{गौरव प्रज्ञानन}
18वें अपर सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर, जिला जबलपुर(म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

{गौरव प्रज्ञानन}
18वें अपर सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर, जिला–जबलपुर(म.प्र.)

GAURAV PRAGYANAN

Digitally signed by GAURAV PRAGYANAN
Date: 2024.11.29 17:26:48 +0530